भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2147

06.08.2026 को उत्तर के लिए

वन भूमि के अन्यथा उपयोग का प्रभाव

2147 श्री ए. ए. रहीम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अन्यथा उपयोग की गई वन भूमि का क्षेत्रफल कितना है और कटाई हेतु अनुमोदित वृक्षों की संख्या, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ख) खनन, अवसंरचना, उद्योग और अन्य विकास परियोजनाओं सहित ऐसे अनुमोदनों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन भूमि के ऐसे अन्यथा उपयोग तथा वृक्षों की कटाई के पारिस्थितिक प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसी अवधि के दौरान राज्य-वार वनीकृत क्षेत्र और लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता दर सहित ऐसे अनुमोदनों के बदले में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वन भूमि के अन्यथा उपयोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) विगत पाँच वर्षों अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत देश में 1,05,594.32 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य-वार तथा परियोजना-श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** एवं **अनुलग्नक-II** में संलग्न हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान किए गए प्रतिपूरक वनीकरण तथा रोपित पौधों की उत्तरजीविता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच मामला-दर-मामला आधार पर अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का समुचित ध्यान रखा जाता है। वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग केवल उन मामलों में अनुमत है, जहाँ यह अपरिहार्य तथा स्थल-विशिष्ट हो, और इसे परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम वन क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाता है। जहाँ वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग अपरिहार्य होता है, वहाँ ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति विभिन्न शर्तों तथा शमन उपायों के अधीन प्रदान की जाती है। इनमें वन भूमि के अपवर्तन करने के बदले प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) करना, निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय, वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं और जलग्रहण क्षेत्र शोधन (सीएटी) योजनाएं शामिल हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और सीएएफ नियम, 2018 गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले वन आवरण और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान को कम करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। वनीकरण तथा अन्य शमन संबंधी गतिविधियाँ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016, सीएएफ नियम, 2018, तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अधीन जारी लागू नियमों एवं दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप संचालित की जाती हैं।

अनुलग्नक-I

'वन भूमि के अन्यथा उपयोग का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री ए.ए. रहीम द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए स्वीकृत वन भूमि (हेक्टेयर में) का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण							
श्रेणी : - सभी श्रेणी		**01.04.2021 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान**					**कुल योग**
क्र. सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**	
1	अंडमान और निकोबार	100.00	0.00	2.98	1.16	0.65	**104.79**
2	आंध्र प्रदेश	302.96	162.28	149.51	405.87	294.99	**1315.62**
3	अरुणाचल प्रदेश	1669.60	1105.53	1296.45	2489.90	3548.53	**10110.00**
4	असम	133.43	45.42	363.00	180.40	58.12	**780.36**
5	बिहार	145.08	467.88	10.47	7.88	9.64	**640.94**
6	चंडीगढ़	0.05	0.00	0.00	0.24	0.00	**0.29**
7	छत्तीसगढ	1474.97	476.45	1069.26	1071.32	2078.36	**6170.37**
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.56	0.00	37.97	12.84	19.54	**72.90**
9	दिल्ली	21.75	63.30	31.87	1.67	74.76	**193.35**
10	गोवा	3.81	178.19	0.81	0.11	49.56	**232.47**
11	गुजरात	1714.47	1474.30	537.19	1233.05	731.19	**5690.20**
12	हरियाणा	571.92	127.97	225.60	109.59	211.68	**1246.76**
13	हिमाचल प्रदेश	455.86	650.29	214.63	109.05	1186.35	**2616.18**
14	जम्मू और कश्मीर	262.93	186.51	126.65	292.09	310.39	**1178.58**

15	झारखंड	771.58	879.36	1334.84	1446.12	2628.60	**7060.50**
16	कर्नाटक	94.75	661.17	392.37	237.09	282.49	**1667.87**
17	केरल	3.90	137.19	13.06	20.80	28.56	**203.51**
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	**0.94**
19	मध्य प्रदेश	3492.01	2045.71	9219.70	3236.63	6975.81	**24969.87**
20	महाराष्ट्र	586.93	822.68	1007.11	1186.91	1337.58	**4941.20**
21	मणिपुर	242.13	337.12	937.20	203.67	476.39	**2196.51**
22	मेघालय	0.00	27.39	0.02	6.05	56.37	**89.83**
23	मिजोरम	178.86	150.05	85.53	19.55	560.63	**994.62**
24	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	**3.93**
25	ओडिशा	1002.13	2748.43	3939.93	3342.59	1683.19	**12716.27**
26	पंजाब	742.20	374.81	150.52	332.77	193.98	**1794.29**
27	राजस्थान	410.89	1096.92	1699.20	973.05	881.42	**5061.48**
28	सिक्किम	20.20	104.67	87.69	295.32	483.63	**991.51**
29	तमिलनाडु	17.59	46.65	23.36	10.78	26.18	**124.56**
30	तेलंगाना	209.99	181.51	239.81	39.55	1573.94	**2244.79**
31	त्रिपुरा	248.33	254.42	36.19	203.04	18.58	**760.55**
32	उत्तर प्रदेश	1701.08	1124.36	2232.82	422.18	735.88	**6216.31**
33	उत्तराखंड	519.66	1183.55	301.96	360.11	327.57	**2692.85**
34	पश्चिम बंगाल	87.53	267.78	130.81	14.41	9.59	**510.12**
कुल योग		**17189.14**	**17381.88**	**25898.48**	**18266.74**	**26858.08**	**105594.32**

स्रोत : **https://parivesh.nic.in**

अनुलग्नक-II

'वन भूमि के अन्यथा उपयोग का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री ए.ए. रहीम द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए स्वीकृत वन भूमि (हेक्टेयर में) का परियोजना-श्रेणी-वार एवं वर्ष-वार विवरण							
सभी राज्य		**01.04.2021 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान**					**कुल योग**
क्र. सं.	**श्रेणी**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**	
1	एयरपोर्ट	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**
2	नहर	6.88	3.02	2.70	61.93	50.39	**124.92**
3	संचार पोस्ट	0.00	0.00	6.54	7.48	6.05	**20.08**
4	रक्षा	421.94	261.26	2288.51	469.16	3518.33	**6959.21**
5	औषधालय/अस्पताल	11.02	6.81	10.76	1.06	6.09	**35.75**
6	पेय जल	63.46	144.36	183.69	376.17	439.88	**1207.57**
7	अतिक्रमण	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	**8.38**
8	वन ग्राम रूपांतरण	298.27	394.80	166.00	293.64	55.00	**1207.71**
9	जलविद्युत / सिंचाई	2007.30	2486.40	8113.96	2691.19	3489.26	**18788.12**
10	उद्योग	31.96	5.93	25.26	44.27	40.88	**148.29**
11	खनन / उत्खनन	3939.48	3573.97	5611.24	3392.74	7459.29	**23976.72**
12	खनिज तेल का खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	**11.25**
13	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	0.00	0.00	0.00	6.92	0.24	**7.17**
14	ऑप्टिकल फाइबर केबल/दूरसंचार लाइनें	94.41	48.96	65.98	60.69	105.33	**375.38**
15	अन्य / जल/ वर्षा जल संचयन संरचना	807.07	708.50	507.91	969.34	530.31	**3523.12**
16	पेट्रोल पंप	0.00	0.00	1884.98	41.88	72.69	**1999.55**
17	पाइपलाइन	127.13	162.78	138.56	144.48	215.40	**788.35**

18	पुलिस और सुरक्षा संबंधी प्रतिष्ठान	0.00	0.00	0.00	1.73	2.40	**4.13**
19	पावर ट्रांसमिशन लाइन / गांव की बिजली	3105.46	3189.44	1960.38	3822.35	1928.81	**14006.45**
20	रेलवे	1169.53	1700.60	284.78	1752.98	1849.95	**6757.84**
21	पुनर्वास	86.90	75.11	833.45	470.59	1501.88	**2967.93**
22	सड़क	4966.41	4603.30	3756.01	3609.98	5348.94	**22284.65**
23	स्कूल / शैक्षणिक संस्थान	40.87	6.23	12.35	26.25	175.33	**261.03**
24	थर्मल पावर	0.00	0.00	0.95	0.00	40.71	**41.66**
25	बीआरओ द्वारा मौजूदा पुल का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	**0.20**
26	पवन ऊर्जा/सौर ऊर्जा/विद्युत उप-स्टेशन	11.04	2.02	44.46	21.81	9.44	**88.78**
कुल योग		**17189.14**	**17381.88**	**25898.48**	**18266.74**	**26858.08**	**105594.32**

स्रोत : **https://parivesh.nic.in**

अनुलग्नक-III

'वन भूमि के अन्यथा उपयोग का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री ए.ए. रहीम द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कांपा निधियों के अंतर्गत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रतिपूरक वनीकरण उपलब्धि**	**उत्तरजीविता सीमा (%)**
1	अंडमान और निकोबार	132.03	60-85
2	आंध्र प्रदेश	3471.88	80-90
3	अरुणाचल प्रदेश	20719.46	40-75
4	असम	1149.64	45-90
5	बिहार	3171.67	65-95
6	चंडीगढ़	0.97	90-100
7	छत्तीसगढ	7039.23	80-99
8	दिल्ली	179.96	91
9	गोवा	1209	74-95
10	गुजरात	14103.32	69-80
11	हरियाणा	5012.91	60-80
12	हिमाचल प्रदेश	4073	54-60
13	जम्मू और कश्मीर	6434.79	60-66
14	झारखंड	15739.27	78-98
15	कर्नाटक	2761.26	75-100

16	केरल	171.8	45-74
17	मध्य प्रदेश	21746.82	88-96
18	महाराष्ट्र	4316.74	73-100
19	मणिपुर	666.94	55-76
20	मेघालय	114.56	40-70
21	मिजोरम	2570.24	80-95
22	लद्दाख	0	0
23	ओडिशा	16964.78	75-93
24	पंजाब	4019.72	54-100
25	राजस्थान	7377.15	55-85
26	सिक्किम	609.52	60-71
27	तमिलनाडु	84.76	85-95
28	तेलंगाना	13686.57	69-96
29	त्रिपुरा	2295.23	72-90
30	उत्तर प्रदेश	5877.16	83-95
31	उत्तराखंड	11812.89	-
32	पश्चिम बंगाल	748.25	70-100
	कुल	**178261.52**	
